



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 381 - विनियम एवं का0वि0नी0 / पाकालि / 2018 - 9 - विनियम 88 दिनांक 16 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.05.2018 को सम्पन्न 139वीं बैठक की मद सं0 139(35) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन विद्यालयों में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के समान नियम लागू करने हेतु शासन के आदेश सं0 13/1289/15-7-2014 दिनांक 15.10.2014 एवं सं0 13/2015-1164/15-7-2015-1(29)/2014 दिनांक 12.06.2015 तथा सं0 2978/79-572015 दिनांक 08.10.2015 के निम्न प्राविधानों को निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत कर्मिकों हेतु लागू उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद शिक्षक सेवा विनियमावली-1995 (अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत अंगीकृत करते हुए निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था (स्तम्भ-2) से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद शिक्षक सेवा विनियमावली-1995 (अद्यतन संशोधित) के आदेश सं0 405-विनि-२३/राविप/95-9 विनियम/88 दि0 21.12.95 के प्रस्तर-37 में उल्लिखित वर्तमान स्वरूप	प्रतिस्थापन हेतु संशोधित स्वरूप
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
“यदि किसी सेवा के सदस्य का उपर्युक्त अधिवर्ष वय 02 जुलाई और 30 जून के मध्य में किसी तिथि को पड़ता है, तो उसे, उस दशा को छोड़कर जबकि वह स्वयं सेवा विस्तरण न लेने हेतु लिखित सूचना अपने अधिवर्ष वय की तिथि से 02 माह पूर्व देवे, 30 जून सेवा विस्तरण स्वयंमेव प्रदान किया गया समझा जायेगा। ”	“शैक्षिक वर्ष का अर्थ 01 अप्रैल से उसके पश्चात् आने वाले 31 मार्च की अवधि है” एवं “यदि किसी सेवा के सदस्य का अधिवर्ष वय 02 अप्रैल और 31 मार्च के मध्य में किसी तिथि को पड़ता है, तो उसके, उस दशा को छोड़कर जबकि वह स्वयं सेवा विस्तरण न लेने हेतु लिखित सूचना अपने अधिवर्ष वय की तिथि से 02 माह पूर्व दे दें, 31 मार्च तक सेवा विस्तरण स्वयंमेव प्रदान किया समझा जायेगा। ”

2. “ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद शिक्षक सेवा विनियमावली-1995 (अद्यतन संशोधित) ” उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0 (1)-विनियम एवं का0वि0नी0-29/पाकालि/18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः . . . 2)

- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.05.2018 को सम्पन्न 139(35)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से



(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)